15.40 hrs.

RESOLUTION *RE*: CENTRAL LEGISLATION FOR AGRICULTURAL WORKERS—*contd*.

MR. CHAIRMAN: Further discussion of the Resolution of Shri P. K. Kodiyan. Mr. Chitta Basu to continue his speech.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): How much time is left out?

MR. CHAIRMAN: The time allotted was two hours; the time taken is one hour and 35 minutes. The residue is only 25 minutes.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I rise to support the Resolution moved by my esteemed friend, Shri P. K. Kodiyan. It is necessary for the House to know the subject-matter of the Resolution because we had discussed last about two weeks ago. The Resolution seeks that the Government of India should enact a Central legislation to regulate, govern and improve the life and conditions of work of the agricultural workers of our country. My object would be really to place before this hon. House the necessity for such a Central legislation for the protection of the rights of the agricultural labourers of our country.

As you know, India is predominantly an agricultural country, and the Planning Commission has recently made it a policy that India should be developed as a grain power. If it is the object of the Government really to develop the agricultural economy and agricultural wealth of our country, we cannot afford to ignore the man behind the plough. It is the man behind the plough who creates agricultural wealth, but he is denied the fruits of his labour. The overwhelming majority of the men behind the plough today are the agricultural labourers of our country. But the man behind the plough, today, is ignored. He is deprived of his legitimate right. He is steeped in debt, he is landless, he is hungry, he is unfed, he is unclad. This is the condition of the millions of agricultural workers of our country who are behind the plough and who create the agricultural wealth of our nation. These agricultural workers of our country occupy a very strategic position in our economic life today simply by virtue of the fact that they constitute a very overwhelming majority of our working population.

Now, let us have a proper understanding of the number of these agricultural workers in our country.

14.45 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*.]

According to the Census of 1971, the agricultural labour in India numbered 47.48 million as against 31.52 million in 1961. The Rural Labour Enquiry Committee in 1974-75 estimated that the agricultural labourers' household formed about 86 per cent of the rural labour households in our country. When the total population covered in the category of agricultural labour was 335 million, about half of it would constitute wage-earners. Therefore, you can understand that these agricultural workers number 335 million. If you compare this number with the other work force in our country, I think you will agree with me that the agricultural workers of our country constitute the overwhelming majority of the work force of the nation. Let us have some figures.

In 1961 the total work force in our country was 190 million of which agricultural workers constituted 137.80 million. The overwhelming majority of the work-force of our country is agricultural labour. In 1971 the total work force was 230 million out of which the agricultural labour constituted 167.33 million...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. We have got only 25 minutes left for this. And, then, there are 2-3 more speakers.

SHRI CHITTA BASU: You had better extend the time. It is an important resolution.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): There are many members who want to speak. Time may be extended.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): It is a very important resolution. Time may be extended.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will take the permission of the House.

SHRI CHITTA BASU: In 1978-79 the total work force was 265.29 million of which the agricultural workers constituted 192.43 million.

My point is that the agricultural workers to-day constitute the overwhelming majority of the work force of the nation. If this overwhelming majority of the work force of our nation is neglected or ignored and if their legitimate rights are not protected and their hopes and aspirations are not fulfilled, the work force of our country is being denied their legitimate rights. This is the point I want to make.

Let us understand what is the condition of life and work of the agricultural workers. It is found that the average daily money earning of an agricultural worker was Rs. 1.43 in 1964-65. It increased to Rs. 3.24 in 1974-75. For women, it was only 95 paise in 1964-65 and it went up to Rs. 2.27 in 1974-75. For children, it was only 72 paise in 1964-65 and it went up to Rs. 1.82 in 1974-75. This is the figure of 1974-75 and 1964-65. But one fallacy remains. Apparently, it appears that there has been an increase of wage of the agricultural labour from 1964-65 to 1974-75. But my point is that in real terms and in real wages, there has been a decline Permit me to explaint it.

During the same period, that is, from 1964-65 to 1974-75, all-India Consumers Price Index number for agricultural labourers, base July, 1960—June, 1961, went up by 157 per cent from 143 in 1964-65 to 368 in 1974-75. Therefore, I think, the hon. Minister will agree with me that the average daily earnings of Rs. 3.24 for men in agricultural operations in 1974-75 got reduced to Rs 1.26 in real terms compared to Rs. 1.43 (one-third) in 1964-65. Therefore, in spite of the fact that there has been some increase in wages but, in terms of real wages, there has been a decline in the wages for the agricultural workers. This is one aspect.

I would only read from what the *Economic and Political Weekly* writes regarding the conditions of work and life of the agricultural workers: I quote:

> "A recent study has brought out that minimum wages laws for agricultural workers are still observed more in their breach and even, more significantly, that even if the minimum wages fixed by law were actually paid, the resultant incomes would still keep agricultural labourers below the poverty line in all States with the exception of Punjab".

Even if the Minimum Wages Act is implemented the *Political and Economic Weekly* writes that the wages levels would be less than the poverty line.

The Rural Labour Enquiry conducted by the Union Labour Ministry brought out that between 1964-65 and 1974-75, the average number of days of wage employment in agricultural operations available to the members of the agricultural labour households had actually declined from 208 to 185 for men and from 138 to 129 for women.

[Shri Chitta Basu]

Therefore, Sir, the picture is clear that there is a regular decline of real wages. Minimum wages are fixed abnormally low. Even if the Minimum Wages are implemented the agricultural workers will remain below the povertyline. What is more shocking is that the number of days of employment is declining fast. Therefore, Sir, this is the condition now. These are all government figures which I had quoted. Why then legislation is necessary is the question. There are large numbers of legislations which govern the workers' life. There are, for example, the Minimum Wages Act, the Payment of Wages Act, Employee's Provident Fund Act, Payment of Gratuity Act, Industrial Disputes Act, the Trade Union Act, Workmen's Compensation Act, Employees' State Insurance Act and the Maternity Benefit Act etc., etc.

Those are Acts—there is no doubt about that. Many of them are applicable in the case of agricultural workers also legally, but, in practice, as the agricultural workers are unorganised and, as there is no direct employer-employee relation as in the case of factory, it is difficult to take advantage of the labour legislations. More so, these legislations are meant to meet the particular requirments of the situation. The agricultural workers require a system of law, legislation, which should not be a piecemeal one but it should be a comprehensive one and which can take the totality of the problem and solve it in a proper way. What are the problems of the agricultural workers? The major problem of the agricultural worker is security of employment, regulation of hours of work fixation and revision of wages and machinery for the settlement of disputes, social security measures such as for example by way of benefits of Provident Fund, etc., etc. These are specifically meant for the agricultural workers and these cannot be separated unless a total legislation, comprehensive legislation, is there and unless the totality of the problem is taken into consideration Since the agricultural workers are not properly organised as compared to the industrial workers, they cannot protect themselves. Therefore, inspite of the fact that there are host of laws guaranteeing the labour rights those labour legislations cannot be taken advantage of by the agricultural workers of our country. There should be a separate and distinct approach for agricultural workers than from industrial workers. For agricultural workers there should be a legislation of a comprehensive nature. There should be one central law comprising of all the aspects, *viz.*, security of employment, regulation of hours of work, fixation and revision of wages, machinery for the settlement of disputes, social security measures, etc.

Sir, Central legislation is necessary compasing the totality of the problem and providing for the guarantee of the rights of these agricultural workers. In this case the Kerala Act requires to be mentioned. The Kerala Agricultural Workers Act, 1974 provides for many of these aspects in a single legislation. Inspite of the fact that other legislations were there yet the Kerala Government felt the agricultural workers cannot take advantage of these piece-meal legislations in order to protect their rights and get their standard of living upgraded and, as such, a broad legislation should be framed compassing all the problems. Therefore, Sir, it is necessary to have a comprehensive Central legislation for this purpose.

Sir, the erstwhile Janata Government did take initiative in this matter. They set-up a standing committee on the rural un-organised labour in January 1979. This very question was raised there and it was generally felt by the standing committee that there should be a comprehensive multi-faceted Central Act for the agricultural workers. The standing committee set-up a sub-committee to

consider the subject as to whether there is necessity of a Central legislation of this nature or not. You will be glad to know that I had the privilege to serve on that sub-committee. The sub-committee went into the supject thoroughly and discussed at length the problems of the agricultural workers and came to the conclusion that a Central comprehensive legislation is necessary. The sub-committee after great pains has drafted a Bill for the purpose and that Bill is with the abour Ministry.

Certain initiative has already been taken. Certain process has already been gone through. A sub-committee has gone into the subject. A draft legislation has already been framed. Now the Government of India should not stand in the way of the logical consumation of the whole process. Now the next stage is for the Government to accept this draft legislation and to come up to the House for the enactment of this legislation. That is the logical outcome of it. And I would therefore request the hon. Minister to take the earliest opportunity to bring the draft Bill before the House, which has been produced by the sub-committee. He should see that this Bill gets passed by this honourable, august House.

16 hrs.

Before concluding, I would appeal to the members opposite. This is a question of agricultural workers—the most down-trodden section of our society. You speak of 20 point programme. You talk of helping the poorest section of the community. The weakest section of the community is the agricultural labour. You cannot bring about any social change if the vast masses of agricultural labourers live in grinding poverty. Therefore, please don't take any partisan view of the matter. It is a question of national interest. If agricultural workers of our country are satisfied, if they have got incentive to produce more, the national strength will be more. I would therefore urge upon hon. Members of the House that there should not be any partisan approach to the problem. It should be treated as a national problem. We should see that this great House does justice to this weakest section, the most down-trodden section, who belong to the lowest rung of the society. By doing that, the Parliament will only be doing its legitimate duty. I hope that the Lok Sabha will rise equal to the occasion and accept this Resolution unanimously and do its duty by the nation.

MR. DEPUTY SPEAKER: Two hours were allotted for this discussion. We have already exhausted the time allotted. We have got 8 hon. Members who want to speak. They have given their names. What is the opinion of the House? Shall we extend the time? If so, by how much time?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Time should be extended.

SHRI MOOL CHAND DAGA: One hour may be given. Time should be extended by one hour.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Also my friend here should be given time to move his next Resolution.

MR. DEPUTY SPEAKER: One hour—all right. Does the House agree for extending time by one hour?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: We may go up to 5-30 P.M.

MR. DEPUTY SPEAKER: If your speeches are brief, I am sure we could finish it by one hour. I think one hour is sufficient—So, with the approval of the House, time is extended by one hour. I would request hon. Members to take five minutes each. The hon. Minister has got to reply. I request hon. Members to be brief. Shri M. C. Daga.

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, शोषण और दमन पर टिकी हुई समाज व्यवस्था में क्या इस प्रकार के कानून लागू करने के बाद भी कानून लागू रह सकता

[श्री मूल चन्द डागा]

है—मुझे इस में शक है। अभी आप ने आंकड़े दिये कि हिन्दुस्तान में श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं—खेतिहर मजदूरों की आज जो हालत है, जो दशा आज हो रही है, उस का अन्दाजा आप इस तरह से लगाइये—1961 में के अन्दर उन भूखे, नंगे व्यक्तियों का अनुपात 38 प्रतिशत था जो 1978-79 में बढ़ कर 54 प्रतिशत हो गया। उन को आज 3 मीटर कपड़ा भी शायद उपलब्ध नहीं होता है।

अभी मेरे मित्र "इकानामिक एण्ड पोलिटीकल वीकली" से कोट कर रहे थे, मैं भी उसी वीकली से 4 लाइनें कोट करना चाहता हूं—

"The National Commission on Labour had reported in 1969 that till then the Minimum Wages Act had remained a dead letter in every state.' For later years, we have the findings of the Rural Labour Enquiry, 1974-75, to the effect that (i) only about 2 per cent of agricultural workers were even aware of the Minimum Wages Act, and the wages fixed under these Acts for their respective regions, and (ii) only 1 per cent of agricultural labourers were members of any organisation or union of farm labourers."

जहां पर 1 परसेन्ट भी किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैं, जहां 2 प्रतिशत लोग भी कानून न जानते हों और जो कानून डेड-लैटर की तरह से रहा हो, वहां बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस को कौन करने के लिये तैयार है। आप की वेस्ट-बंगाल की गवर्नमेन्ट ने, जिस से आप आते हैं, क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूं—ऐसी कौन सी गवर्नमेन्ट है जो बिलो-पावर्टी लाइन नहीं ले जा रही है...

श्री चित्त बसु: वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट ने 8 रुपया 10 पैसा किया है।

श्री मूल चन्द डागा : पास कर दिया है, लेकिन Even then they are below the poverty line. According to your own figures which you have quoted in the House, they are below the poverty line.

सिर्फ पंजाब ने कुछ किया है। त्रिपुरा के अन्दर केवल 2628 रुपया सालाना मिलता है, वहां हम 66.9 परसेन्ट पीछे हैं, बिहार में 2575 रुपया मिलता है, वहां 60.35 परसेन्ट पीछे हैं, उड़ीसा में 2535 रुपया मिलता है, वहां 60.08 परसेन्ट पीछे हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 1743 रुपया मिलता है, वहां हम 47.4 परसेन्ट पीछे हैं, केरल में 1721 रुपया मिलता है, वहां हम 38.8 परसेन्ट पीछे हैं, महाराष्ट्र में 1632 रुपये मिलते हैं, वहां हम 41.6 परसेन्ट पीछे हैं, आसाम में 1536 रुपये मिलते हैं, वहां हम 38.2 परसेन्ट पीछे हैं। काश्मीर में तो यह कानून लागू ही नहीं है। जम्मू-काश्मीर स्टेट में तो बड़े आराम से शोषण हो सकता है, क्योंकि वहां मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। राजस्थान में भी लागू है नाम का, डेड-लेटर है, जो किताबों में लिखा हुआ पड़ा है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम सब लोग एक बात करना जानते हैं और वह यह है कि हम लोगों की बातें करने की आदत बहुत अच्छी है। हम ने 30 साल तक ये बातें कीं और मैं भी उस में सम्मिलित हूं। अब हमारे श्री टी. अंजय्या लेबर मिनिस्टर बन कर आए हैं और उन्होंने जल्दी से इस काम को करने की बात सोची है और मैं आशा करता हूं कि वे जल्दी इस काम को कर लेंगे लेकिन एक बात मैं कमेटीज बनने के बारे में कहना चाहता हूं। ये कमेटीज जो बनती हैं, कुछ हिन्दुस्तान में ऐसा तरीका बन गया है कि अगर कोई काम करना है, तो उस के लिए कमेटी बना दो। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 1978 में उन्होंने एक कमेटी बना दी थी। एक प्रश्न किया गया था, उस में यह दिया गया है.....

That a Committee has been formed. That Committee appointed a sub-committee. That sub-commiteee will collect all the relevant data and then consider this question. What has happened to that Committee's report?

हम बात कर रहे हैं गरीबों को कानूनी सहायता देने की । भगवती कमेटी ने रिपोर्ट दी थी । आज फिर उस की छानबीन हो रही है। अब सरकार के सामने एक ही रास्ता यह है कि शोषण करने वालों के खिलाफ कोई कानून बने । आन्ध्र और गुजरात की सरकारों ने मना किया है और कहा है कि मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू मत करो क्योंकि इस से खेती का उत्पादन कम हो जाएगा । गुजरात ने भी इस का विरोध किया और आन्ध्र प्रदेश ने भी विरोध किया । ये बड़े-बड़े आन्ध्र प्रदेश के जागीरदार हैं. . . . (व्यवधान)..In an article in the Economic and Political Weekly dated June 14—21, 1980, it is stated:

"The Andhra Committee argued that the national income was low and therefore any wage fixation on ethical grounds would adversely affect the state of economy and retard agricultural production. . ."

AN HON. MEMBER: It is wrong.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Further, "The Gujarat Committee opined that the capacity of agriculture to pay a minimum wage and the need of workers were illusory concepts. Instead, it recommended a pragmatic wage rate."

क्या प्रगमेटिक हो। हम शोषण कर सकते हैं। कुछ बड़े-बड़े खेती करने वाले लोग विधान सभाओं और पार्लियामेंट में आ जाते हैं। इन की लाबी अलग है । गरीबों का शोषण होता है और यहां आकर शोषण को खत्म करने की बात करते हैं । इसलिए यह देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। इस बारे में मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय बतायेंगे कि सन् 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हुआ था, तो उस के बाद कितने चालान किये गये और कितने लोगों को सजा दी गई। यह बात मेहरबानी कर के बता दीजिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

मिलेंगे । एक बात यह मैं आप से कहना चाहता हूं और वह आखरी बात है । पंजाब के अन्दर क्या हालात हो रहे हैं? पंजाब और हरियाणा जो हैं, इन के बारे में आप ने कभी कोई इलाज किया है।

In the statement which formed part of the answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 19 answered on 9th June, 1980, it was stated:

"Another press report indicated, quoting a Haryana Agriculture University Survey that 25 accidents occur in use of every 1000 power threshers. Another press report mentioned figure of 1200 persons being incapacitated by power threshers every year in the country."

कई बिचारे मजदूरों के हाथ-पांव कट गये हैं, उनको मौत हो गयी है। उनको आप क्या देते हैं? आज भी इसके बारे मे कोई व्यवस्था नही है । दिस इज ट्रेजेडी। जहा पर लोग काम करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब में, और दूसरे इलाकों मे हैं जिनके यहां वे काम करते हैं आजकल वे लोग पूंजीपति हो गये हैं । उन्होंने थ्रेशर लगा लिये हैं । उनसे गरीबों के हाथ, पाव कट जाते हैं, मौत हो जाती है।

The Central Government has suggested to the principal wheat-growing States to enact suitable legislation for compulsory fixation of safety devices in threshers. Presently, there is no Industrial Safety Act; and so, the question of its extension to farm labour does not arise. Workmen's Compensation Act, 1923 also provides for payment of compensation in case of injuries resulting in disablement or death by accident arising out of, and in the case of employment of workers employed on wages not exceeding Rs 1000 per month. . .

यह है हमारा कल्याणकारी राज। क्या इसी समाजवादी राज की व्यवस्था हम करना चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा: मैं तो पहले ही इस बात को जानता हूं कि 4 मिनट मुझे उपाध्यक्ष महोदय आपने घंटी तो बजा दी है लेकिन एग्रीकल्चरल मजदूर जब आग-

[श्री मूल चन्द डागा]

जाएगा तो वह देश की घंटी बजा देगा । वह इकोनोमिक डिस्पेरिटी को, आर्थिक विषमता को, शोषण को बर्दाश्त नही करेगा। ये कोरी बाते और कोरे कानून तब नही चलेंगे । इन सारी बातों को हमे सोचना चाहिए । मनुष्य के शोषण को आप जल्दी से हटाइये और इसके लिए जल्दी से कानून बनाइये । मेरा इसके बारे मे यही अमेंडमेंट है कि इसको इसी सत्र मे पास कीजिए। कल जो काम करना है वह आज ही कीजिए। अंजय्या साहब आप लेबर के बारे मे बजट सेसन मे ही कानून बना कर लागू कीजिए। आपका अखबारों मे नाम हो जाएगा । जो कानून आपने पास करना है वह इसी सेसन में ही पास करके लागू कीजिए। हमने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे मे वायदा किया है, मेनिफेस्टो मे वायदा किया है कि हमे उनको ऊपर उठाना है। आप लेबर डिपार्टमेन्ट को रात दिन कस कर इस कानून को लागू करा दें। अगर आप आर्डिनेन्स निकाल दें, जैसा कि आप और मामलों मे निकालते हैं, तो हम उसको भी मंजूर कर देंगे ।

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): This resolution was supported by all those who spoke till now, and all the side issues and all the pros and cons have been narrated by one and all. Here, we are discussing this resolution on a Central legislation for agricultural labourers, in the 33rd year of freedom and that too, after 30 years of passing our Constitution. And only now we are discussing about a Central legislation to protect nearly 50 million agricultural workers. And what kind of legislation are we thinking of now?

Many friends here narrated many things. In many States, agricultural workers cannot talk of wages, cannot form any sort of organizations and cannot stand up against landlords. If they ask for wage rise, in many places their heads are cut off. In many States their employment is lost. In many places, they are evicted from their living places. This is the story. The State laws enacted so far in many States are practised more in their negation. While we discuss this question, we have to go a little further to find out what the fundamental issue is. Everybody has quoted figures here. I do not want to quote figures. From 1961—71, the increase in the agricultural labour is 47.5 per cent. Why this increase? This increase came because their land has been grabbed by landlords. Therefore, they became landless with the result that their number has been increased. The marginal farmers and small farmers became landless and came into the rank of the agricultural workers. Today they may be called agricultural workers. My friend who spoke before me quoted a lengthy quotation from *Economic and Political Weekly*. He did not want to quote the Minimum Wages prevailing in Kerala which is the highest. Their total income is less because the total work in a year is less. It is only 180 days. Therefore, the main question is what stipulation you make about their wages when they have no work? What provision you make for getting work every day? If there is no work, what you are going to give them?

There is a concentration of land in the hands of landlords. You see 33 per cent of the land is held by the 3 per cent of the agricultural population. If you see the figures of the surplus land and its distribution, etc., you will find that it is also not being done properly. Therefore, the first point is land reforms, land distribution which is basis for the progress of the country. We must start from the landless workers and they must be given land. Within this resolution, it does not come. Now the land is owned by somebody and he has to work for wages only and the wages are also not guaranteed. Some reference has been made about Bengal and Kerala. What is the distinctive feature in Kerala and Bengal? I am not talking about the wages and other privileges given by the government. Though they are important. The most important point is that they have the freedom to organise themselves and carry on their work. That is what is lacking in other

States. They can go and talk to any so-called land-lords and land owners about their wages and bargain for other demands. You see so many legislations have been enacted by this House or by the State Legislatures, but what is the use of all these things if they are not given freedom to go anywhere and organise themselves. In the Trade Union Act, as our hon. Labour Minister might know, protection is there for Trade Union activity. If I am a trade unionist, I am protected against hazards. But in the case of agricultural labour their life is not safe. If they ask for wages, their head will be cut off and they will be evicted from their place where they live. Therefore, I say that a central legislation is necessary for this, for protecting the workers and their organisations.

About the Janata Government, you may have your own criticism. I may have my own criticism, but in this field, they have done some job. A committee has been appointed. That committee has done some work. A draft legislation has been more or less finalised. You can examine it. I do not say that it should be accepted in toto, but it can be made the basis for the legislation.

Today and tomorrow we are going to discuss the Budget. The difficulty about price rise and so many other things are being discussed. The purchasing power of the majority of the people is very low. Without improving this, India cannot make progress. With that India cannot have progress. For the progress of the country what should we do? First of all, we should have land legislation, land reforms and these people should be given lands. Not only land should be given, they must be given all aid by the Government so that they will have earning.

You are talking of so many schemes. Schemes are good. I do not find fault with any scheme. But those do not touch the fringe of the problem. In every village nearly 50 per cent or more of the agricultural workers have no work. If there is no work, there is no income. Therefore, they are living or dying or both together; more or less they are dying. In the legislation we should have protection provision and to organise them. There should be wage stipulation. There must be unemployment benefit. For industrial workers, lot of wages are there and if there is no work, he gets 50 per cent wages immediately. Therefore, there should be some provision in the legislation for agricultural workers. If there is no work for these workers, nothing is paid and if these workers cannot be absorbed, there must be some provision as unemployment wages. There comes some protection.

I do not want to boast of Kerala. There a small scheme is there. Those workers who pass the age of 60 get a pension. Hitherto, pension is talked of for Government employees and other sections of employees and workers and not for agricultural workers. But these are the people who feed us, who work for us and they make us able-bodied persons. But these people are not being protected. They are not being given the real due. Therefore, in any legislation that we make we should have provision—unemployment relief plus compensation plus this pension scheme.

I support my other friends too who gave various suggestions. Government should start immediately giving protection to agricultural labour. You should bear in mind that in land legislation, land to the tiller has to be the main thing which the Government should think of.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): In our country there are sections of people who are having freedom and economic security and there are sections of people who are having neither freedom nor security. They are marginal farmers and agricultural labourers. I am adding marginal farmers and agricultural labourer because most of the marginal farmers

[Shri P. Rajagopal Naidu]

are agricultural labourers. Therefore, when we consider agricultural workers, we must consider both marginal farmers and agricultural labourers. With regard to minimum wage to agricultural labourers there is no lack of legislation. In every State there is legislation except in two or three States. For your information I can say that in Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, U.P., West Bengal and other States also there is legislation. But what is wanting is its implementation. The implementation is becoming very difficult because there is no organisation for agricultural workers. Therefore, there must be an organisation. Rangaji has already described as to how to organise them. They are not able to organise themselves for fear of victimisation and other difficulties. So, he has proposed that some intelligent and dynamic agricultural workers have to be taken, trained and given honorary work of organising these people and honorarium should be paid to them. Unless that scheme is implemented it is not possible to organise them. Unless they are organised, it is not possible to implement the legislation with regard to minimum wages for agricultural labour.

Employment is necessary. They are having only seasonal employment, that too under-employment. Therefore, we have to provide employment. The Government should see how it can be done. I introduced a Bill in the Sixth Lok Sabha on guarantee of employment to agricultural labourers. I request the Minister to consider that Bill and if possible, to incorporate it in the comprehensive legislation. Food for work and other schemes are giving some scope for providing employment to agricultural labourers. But you must find some way to provide them employment for the rest of the period when they are not able to get work. The organised labour, forming only 20 per cent of the working force in this country, are having so many securities. They are having pension, family pension, earned leave and other leaves, bonus, overtime, compensation for injury, unemployment insurance, maternity benefit, medical facilities, house rent allowance, provident fund, creches, recreation centres, reading rooms, etc. But the agricultural labourers are not having anything of that sort. I know it may not be possible to give them all these things, but at least the main security measures have to be incorporated in the comprehensive legislation which Shri Anjaiah is going to bring. As other members have said, the agricultural labourers must have old age pension. In the Sixth Lok Sabha itself, I brought in some Bills for old age pension, family pension, compensation against injury, etc. These are necessary for agricultural labourers and marginal farmers. So far as provident fund is concerned, the employers and factory workers are able to contribute, but the agricultural labourers and marginal farmers cannot contribute because of their poverty. Even those people who employ them casually are not able to pay anything. Therefore, Government should bear the cost of the security measures and provide security to these people. The Government should give protection to the agricultural labourers. Unless they get immunity, it is not possible for them to organise themselves. Therefore, I request the Labour Minister to consider this aspect also.

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में काम करने वाले कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में जितना कहा जाए, उतना थोड़ा है। मेरे पूर्ववक्ताओं ने इस बारे में जो बातें कही हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं। वास्तव में आज कृषि मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है। वे पैदा होते हैं और फिर बुढ़ापा आता है। शायद दस परसेंट लोग ही जवानी को देख पाते हैं। उनके बच्चे बहुत कम उम्र में काम पर लगा दिये जाते हैं। किसी प्रकार का आर्गनाइजेशन या संगठन नहीं है, जो उनकी देख-रेख कर

सके । मैं होशंगाबाद से, एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं जिस में 2800 गांव हैं और मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं, उन के पास रहने को मकान नहीं होता है । बरसात में उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, गर्मी में उन के सामने बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं और वही हालत ठण्ड के दिनों में होती है। न उन के पास कपड़े होते हैं, न किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था होती है जिस के माध्यम से उन को कोई मदद दी जा सके। मैंने यह भी देखा है कि उन के लिए साल में ज्यादा से ज्यादा तीन चार महीने पूरा काम मिलता है जिस में वे पूरे परिवार के लोग काम कर के किसी तरह साल भर का अपना इंतजाम करते हैं। बाकी दिनों में वे थोड़ा सा रुपया अपने मालिक से लेते हैं और उस रुपये के ब्याज में उनको पूरे साल उस के यहां काम करना पड़ता है। कई जगह यह भी पाया गया है कि यदि किसी कृषि मजदूर ने किसी मालिक से सौ या दो सौ रुपये ले लिए हैं तो उस को काम करना पड़ता है, उसकी बीबी को काम करना पड़ता है और आगे की पीढ़ियों को उस के यहां काम करना पड़ता है । आजादी के 32 वर्ष बाद भी ऐसी हालत आज देश में है । श्री कोडियन जी ने जो संकल्प रखा है निश्चय ही उसकी भावना बहुत अच्छी है और मैं भी उस के लिए अपने मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन की भावनाओं को और सदन की भावनाओं को वह कंसिडर करें तथा एक ऐसा कानून बनाएं जिस से कृषि मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके । उन के साथ आज जो आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहा है वह अन्याय उन के साथ न हो सके। एक निश्चित कानून ऐसा बनाया जाय जिसके जरिए से जैसे कि गांवों में कोई अपराध घटित होता है तो कोतवाल की जिम्मेदारी हो जाती है या पटवारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि थाने में जा कर उस की सूचना करे, उसी प्रकार से एक ऐसी एजेंसी बनाई जाय जो इस बात की सूचना सरकार को दे, या तहसीलदार को, कलेक्टर को दे या एक ऐसा न्यायालय स्थापित किया जाय जहां कि वह एजेंसी जा कर सूचना दे कि इस गांव में अमुक आदमी अमुक मजदूर को पैसे नहीं दे रहा है, मजदूर का शोषण कर रहा है, उस के श्रम का शोषण कर रहा है । ऐसी एक एजेंसी बना कर इस तरह से काम किया जाय ।

निश्चित ही मैं अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को बधाई दूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बहुत तेजी से कृषि मजदूरों की हालत सुधारने की कोशिश की । उस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के लाखों भूमिहीन मजदूरों को भूमि मिली । इसी प्रकार से ऐसे लाखों लोगों के लिए जिन के पास रहने को मकान नहीं थे, मकान बनाने के लिए जमीन मिली, लकड़ी और पवास तथा अन्य सामग्री उस के लिए उन को मिली । मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत नहीं हूं कि जनता पार्टी के शासन में कृषि मजदूरों के लिए बहुत कुछ विचार किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम जिस के माध्यम से कृषि मजदूरों की हालत सुधारी जानी थी, जनता पार्टी भले ही 20 सूत्री नाम हटा देती, 25 सूत्री कर देती या और कुछ नाम रख देती, लेकिन कृषि मजदूरों की हालत सुधारने की बात को खत्म नहीं करना चाहिए । जनता पार्टी के शासन के समय उस कार्यक्रम में व्यवधान आया । मैं अपने श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस व्यवधान को दूर करें और जो हमारे शोषित पीड़ित लोग हैं जिन्होंने कि हमें चुन कर भेजा है, जिन की बहुत बड़ी उम्मीद हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी से लगी हुई है कि यही नेता हमें कुछ दे सकती हैं और यही हमारी हालत में कुछ सुधार कर सकती हैं, उन के लिए कोई ठोस उपाय करें । जो फटे कपड़े पहने हुए किसान और कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं जिन के घर में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं होते हैं कि दूसरे दिन पहन कर जा सकें वे आप से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं । मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में निश्चित ही एक ऐसा कानून बनाएं जो उन को राहत दे सके।

आज जो रोजाना सदन के अन्दर और अखबारों के माध्यम से सवर्ण और हरिजनों के झगड़े की बात उठाई जाती है उस में बहुत बड़ा कारण कृषि मजदूरों का है । जब कभी वे अपनी मजदूरी मांगने की बात करते हैं, अपने हक, अपने राइट्स मांगने की बात करते हैं तो उन्हें उन के मालिकों द्वारा

[श्री रामेश्वर नीखरा]

सवर्णों द्वारा दबाया जाता है, पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम समाज के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं हो ।

मैं आप से अनुरोध करता हूं कि अभी तक पूर्व की जो सरकार रही है, चाहे भले ही वह हमारी ही सरकार रही है, उस ने आर्गेनाइज्ड मजदूरों के लिए तो बहुत कुछ किया है लेकिन करोड़ों की संख्या में जो देहातों में खेती में काम करने वाले मजदूर हैं उन के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया जा सकता है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके सम्बन्ध में आप निश्चित नीति की घोषणा करें, निश्चित कानून और निश्चित एजेंसी की आप घोषणा करें ताकि उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके तथा उनका शोषण न हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि हमारे साथी कोडियन साहब अपने संकल्प को वापिस ले लेंगे तथा साथ ही साथ माननीय श्रम मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र कानून बनाने की घोषणा करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह कैसी विडम्बना है कि 33 वर्षों की आजादी के बाद हम आज खेत मजदूरों के लिए भारत सरकार कानून बनावे, इस बात पर विचार क रहा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shastri, you must also take the responsibility. You have also been in public life for the last 33 years.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What we are doing, I will tell.

तो यह विडम्बना की बात है और खास तौर से इस सरकार के लिए भी सोचने और समझने की बात है कि सरकार नाम तो बहुत लेती है गरीबी मिटाने का, और भी बहुत सारी बातें कहती है लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे समाज में गरीब हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ चुनाव के वक्त तो ध्यान जरूर जाता है लेकिन चुनाव के बाद लगता है कि शासक वर्ग के लोग उनको भूल जाते हैं । अगर इस तरह की बात नहीं होती तो इस तरह का कानून हम बहुत पहले बना चुके होते । ऐसी भी बात नहीं है कि आज ही हमारे साथी कोडियन के दिमाग में यह बात आई है और उन्होंने इसको यहां पर रखा । संसद में तो इस तरह के सवाल बराबर उठते रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में, परन्तु सरकार का ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि सरकार उनके उद्धार की बात, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की बात को अहमियत नहीं देती थी, उस पर ध्यान देना नहीं चाहती थी । खैर, देर से ही सही, अगर अभी भी इस सदन में मंत्री जी एलान कर दें कि सरकार खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के लिए तैयार है तो मैं समझूंगा देर आयद, दुरुस्त आयद । अगर देर से भी भला भटका अपने घर पहुंच जाता है तो उसे भला भटका नहीं माना जाता है । आपने अभी तक बहुत ढिलाई की, कोई ध्यान नहीं दिया और उनका शोषण होने दिया । उसको भी हम भूलने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि आज आप इस तरह का कानून बनाने की घोषणा यहां पर कर दें ।

ऐसी बात नहीं है कि खेत मजदूरों की तरफ से आवाज नहीं उठती थी । मैं जिस सूबे बिहार से आता हूं वहां के खेत मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित और शोषित हैं। आप वहां की घटनाओं की खबरें सुनते रहे हैं। बहुत से लोग जला दिये जाते हैं अगर वे मजदूरी की मांग करते हैं। अगर वे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको जिन्दा जला दिया जाता है जिसकी हाल की मिसाल पिपरा है, उसके पहले पारसबीघा, बेलची और इस प्रकार की दर्जनों अन्य मिसालें हैं । वहां पर लोगों को जला दिया गया क्योंकि वे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिन्दा रहने का अधिकार मांगते थे । बिहार की भूतपूर्व श्रम मंत्री, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा यहां पर बैठी हुई हैं, बिहार में कानून के अन्तर्गत न्यूनतम 5 रुपए मजदूरी निश्चित है । उसको आप लोग लागू नहीं करवा रहे हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (शिवहर): हमने लागू करवाया था, जब आप लोगों की सरकार आई, तो उसने रूकवा दिया ।

श्री रामवतार शास्त्री: हमारी सरकार कहां आई?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: आपके सहयोगियों की सरकार थी ।

श्री रामावतार शास्त्री: आप गलत बोलती हैं, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जनता पार्टी की सहयोगी कभी नहीं रही । यह मैं बराबर कहता हूं, फिर भी आप लोग यह सवाल उठाते हैं ।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने कानून नहीं बनाया था, आपने कानून जरूर बनवाया था, लेकिन वह कानून लागू नहीं हुआ । कुछ लोग कहते हैं कि कानून बनाने से क्या फायदा, जब कानून लागू ही न हो । मैं समझता हूं कि आप जब कानून बनाते हैं, तो उससे आपको मदद लेने और आन्दोलन करने का हथियार हमारे हाथ में होता है। कानून का विरोध करने वालों को दबाने तथा "ऐसा करना न्यायसंगत है; इसको मानो"—ऐसा अधिकार कानून से मिलता है। इसलिए कानून का महत्व है, लेकिन बिहार में धींगामुश्ती चल रही है। जमींदार लोग रोज मजदूरों को तंग करते हैं, उनको दबाते हैं । कोई जिला ऐसा नहीं है, जहां पर इस प्रकार की स्थिति न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए उनके सामने यह सवाल बहुत अहम है और उनकी जिन्दगी का सवाल है । इसीलिए हम चाहते हैं कि जो उनके सवाल हैं, उन सवालों के ऊपर वे विचार करें । सबसे पहले उनकी मजदूरी का सवाल है । यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि सब जगह कानून बने हुए हैं, लेकिन जरा आप अपने शासित राज्यों तथा केरल और पश्चिम बंगाल से तुलना कीजिए । यदि उसमें आप अपने को अच्छा पायें, तो मैं आपका लोहा मानने के लिए तैयार हूं । अगर केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार उसको लागू करने की कोशिश करती है, तो आपको यहां पर दिक्कत होती है और आप नाम लेते हैं 20-सूत्री कार्यक्रम का । आप जाकर देहातों में देखिए क्या 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ ? जमींदार जो आपके संगठन पर कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं, वे 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं करने देते हैं और उसका विरोध करते हैं । क्या यह बात सच नहीं है? सच है, वे नहीं चाहेंगे बल्कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पर और ज्यादा कब्जा उन्होंने जमा रखा है । इसलिए मैं कहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कीजिए, लेकिन आपकी सरकार नहीं कर सकती है । बिहार के बहुत से गांवों में आज भी मजदूरी और सामाजिक अत्याचार के सवाल हैं, जहां पर दो आने मजदूरी मिलती है । मेरी कान्स्टीचूयेंसी के कई इलाकों फुलवारी में भी यही स्थिति है । किसी भी सरकार के लिए यह शर्मनाक बात है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): आपको आन्दोलन करना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : यह मत समझिए कि आन्दोलन नही करते हैं, हम आन्दोलन करते हैं।

खेत मजदूरों में हरिजन हैं और पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। वे सामंतो के खाट पर नहीं बैठ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अगर कोई हरिजन सामन्त के घर के सामने से जाता है, तो उसको डर रहता है कि बाबू नाराज हो जायेंगे, मारपीट करने लगेंगे, उसकी धुलैया होने लगेगी, इस प्रकार की स्थिति बिहार के बहुत सारे इलाकों में है, जो सबसे घृणित सामाजिक अत्याचार है। इसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। तमाम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिल सकी है और सबको काम नहीं मिल पाता है।

जहां तक काम के घण्टों का प्रश्न है, उनके काम के घण्टों का तो कोई हिसाब नहीं है । बेचारा खेत मजदूर सवेरे तीन या चार बजे किसान या जमींदार के यहां काम शुरू करता है श्रोर रात को दस-ग्यारह बजे के बाद उसको फुरसत मिलती है । सामाजिक समानता का कोई सवाल नहीं है । बुढ़ापे में उनकी कोई गारन्टी नहीं हो सकती, कैसे जिन्दा रहेगा ?

[श्री रामावतार शास्त्री]

कर्ज के सवाल पर, यदि वह उसको कर्ज देता है, तो बन्धुवा मजदूर बना लिया जाता है। यह शर्त तय करा लेता है, जब तक कर्ज चुकता नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हमारे यहां काम करते रहना पड़ेगा—अब काम चाहे कोई भी करे। तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा या पर-पोता या छड़पोता। इस प्रकार की बन्धुआ मजदूरी प्रथा आज भी बिहार के कई जिलों में चालू है, जिसका उन्मूलन नहीं हो सका है। कहने के लिए आप यह कह दीजिए कि अस्पृश्यता-निवारण-कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी हरिजनों को मन्दिरों में जाने दिया जाता है? नहीं। क्या आज भी हरिजन कुंओं से पानी भर सकता है? नहीं भर सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति आज भी वहां पर चल रही है। यदि हम सब लोग इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहते है और इसमें राजनीतिक विभेद नहीं करना चाहते है, तो वह समय अब आ गया है कि इन तमाम सवालों पर समग्र रूप से विचार किया जाए। इन्टीग्रेटिड तरीके से विचार किया जाना चाहिये और एक ऐसा कानून लाया जाये, जिस मे हम खेत-मजदूरों की स्थिति मे क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकें। पेबन्दबाजी नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला इस तरह का कानून आप लाइये, जिससे उन को लाभ हो। अब अगर आप इस काम मे देर करेंगे तो वे लोग यह समझेंगे कि जिन लोगों को हम ने वोट दिया है—पिछले चुनाव में खेत मजदूरों ने आप को वोट डाला है..... उन्होंने कुछ नहीं किया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: As far as 'Shastri's are there, no Harijan can enter into the temples.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: All India Radio often cut short my name or change my name. They say 'Ramavatar Tyagi'. Some newspapers put 'Ramavatar Singh'. You do that, I am ready to forgo the word 'Shastri' from my name. Today, in the newspapers, my name has been put as 'Ramavatar Singh'. They are at pleasure to change my name. I am ready to accept that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then the Harijans will enter into the temples.

SHRI RAMAVATR SHASTRI: I am ready to become 'Ramavatar Ram'. I have no objection.

"शास्त्री" शब्द को काट दीजिये अगर उससे कानून बनाने में कोई नुकसान होता है।

मैं अब ज्यादा कुछ नही कहना चाहता हूं। यह समग्र रूप में सब का दायित्व है, जितने अपोजीशन में लोग बैठे है उनका दायित्व तो है ही, लेकिन उन से ज्यादा आप का दायित्व है, क्योंकि आप के हाथ मे शासन सूत्र है, इसलिये आप की जवाबदेही हम से ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं—अंजय्या जी लेबर मिनिस्टर बने है, कुछ क्रांतिकारी कदम अवश्य उठायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आज अंजय्या साहब कुछ ऐसी बात जरूर कहेंगे जिस से हम लोगों का दिल प्रोत्साहित होगा और हिन्दुस्तान का खेत-मजदूर समझेगा कि हम ने इन को वोट डाला है, तो कम से कम इतना तो इन्होंने किया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): उपाध्यक्ष जी, श्रीमती इन्दिरा जी की यह नीति रही है कि जब तक देश में कोई भी कमजोर आदमी रहेगा, देश मजबूत नहीं रह सकता। इसलिये हर आदमी मजबूत होना चाहिए, वह चाहे खेत-मजदूर हो, फैक्टरी मजदूर हो या कोई और मजदूर हो, इस वास्ते देश के हर व्यक्ति को मजबूत करना है,

उस को अच्छी जगह पर पहुंचाना है, उस की इन्कम अच्छी होनी चाहिये । 1966 से श्रीमती इन्दिरा गांधी इसी नीति पर चलती आ रही हैं, लेकिन बीच में पिछले तीन सालों में इस काम को धक्का लगा है । अब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अंजय्या जी को मिनिस्टर बना कर इस काम को फिर से शुरू किया है ।

शास्त्री जी, आप को शायद मालूम होगा, अंजय्या साहब ने आप की तरह सिर्फ फैक्टरी मजदूरों की ही यूनियनें नहीं बनाई हैं, बल्कि जिन्दगी में सब से पहले खेत मजदूरों को इक्ट्ठा किया है और यह काम मेरे जिले से शुरू किया है । इस वास्ते फैक्टरी मजदूर हो, खेत मजदूर हो, हर किस्म के मजदूरों की समस्याओं को वह बहुत अच्छी तरह से जानते है और मुझे उम्मीद है, उन के लिये अच्छा इन्तजाम करेंगे ।

अभी हमारे चित्त बसु जी ने फरमाया कि 1964 और 1974 के दरमियान खेत मजदूरों की आबादी 44.7 परसेन्ट बढ़ी है । मैं यह कहना चाहता हूं—इस का मतलब है कि हर साल 4.4 परसेन्ट उन की संख्या बढ़ी है । इस का मतलब है, चित्त बसु जी को यह समझना चाहिये, कि ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं । मेहरबानी कर के उन लोगों से फैमिली प्लानिंग कराइये । हर साल 3 से 3.5 परसेन्ट उन की आबादी बढ़ रही है, जब कि कुछ क्षत्रों में 1 परसेंट भी नहीं बढ़ रही है और सारे देश का एब्रेज मिला कर 2.5 परसेन्ट बढ़ रही है । इस लिये यदि उन की हालत को सुधारना है तो उन की आबादी को बढ़ने से रोका जाना चाहिये ।

अब जहां तक स्टेट्स का ताल्लुक है, जहां जहां स्टेट्स में यह कानून लागू हुआ है, वहां बहुत सी जगहों पर मजदूरी मिनिमम वेज से ज्यादा दी जा रही है । मैं आप को एक मिसाल देता हूं—हमारे यहां एमर्जेंसी के ज़माने की बात है कलैक्टर ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि मजदूरों को रोजाना 5 रुपया मिलना चाहिए । हम ने कहा कि हम 10–20 लाख रुपया आप के पास जमा करवा देते हैं, आप 5 रुपये में मज़दूर दिलवा दीजिये । बाद में कानून को देखा गया, तो उस में निकला कि जहां-कहीं मिनिमम वेज से ज्यादा मज़दूरी दी जा रही है, उस को उसी तरह से कन्टीन्यू रखना चाहिये, उस को कम करने की ज़रूरत नहीं है । हमारे यहां औरतों को 7,8 रुपये और मर्दों को 10 रुपये मिलते है और यह कहना कि सिर्फ तीन, चार महीने ही वे लोग काम करते हैं, ग़लत है । इतना इर्रीगेशन हो गया है और इतनी क्राप्स बढ़ रही है कि वे और ज्यादा काम कर सकते हैं । वेस्ट बंगाल और बिहार में नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह यह हो सकती है कि गंगा का पूरा पानी समुद्र में चला जाता है और उस का इस्तेमाल नहीं होता है और यहां पर आ कर लोग भाषण कर देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है । मैं तो यह कहूंगा कि जब एक बार गवर्नमेंट कानून बना देती है, तो उस के बाद हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उस का पालन हो । हमारी बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है पर अपोजीशन वालों की भी जिम्मेदारी है । अभी सी०पी०आई के लीडर ने कहा कि इन मज़दूरों पर जुल्म हो रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त शास्त्री जी क्या कर रहे थे । हम लोगों का यह काम है, पोलीटीकल वर्कर्स का यह काम है कि जब ऐसी बात हो, तो वे एजीटेशन करें और जो भी कानून बने हुए हैं, उन का इम्प्लीमेंटेशन कराएं ।इम्पलीमेंटेशन न

[श्री एम० रामगोपाल रेड्डी]

करा कर होता यह है कि पांच, दस साल में जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो बस भाषण दे दिया । मैं कहता हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते, आप का यह काम है कि खेती के मज़दूरों के लिए जो कानून बने है, उन का पालन कराएं । आप ने कह दिया कि उन को एक आना, दो आना मज़दूरी मिलती है ।...(**व्यवधान**)... अगर उन को दो आने या 12 पैसे मज़दूरी मिलती है, तो यहां पर इस के बारे में इस तरह की बात कहना सही नहीं है । जब आप को मालूम हो गया कि 12 पैसे मज़दूरी मिल रही है, तो मेहरबानी कर के आप ने चीफ मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा होता । आप ने क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में लेटर लिखा । खाली यहां पर भाषण देने से काम नहीं बन सकता । यह भी कहना चाहता हूं कि आज मज़दूर बहुत होशियार हो गये हैं और मज़दूरों से डर कर जमींदार गांवों से भाग रहे हैं । हमारे पास ऐसे बहुत से केसेज हैं, जिन से पता चलता है कि बहुत से जमीदार गांवों को छोड कर शहरों की ओर भाग रहे हैं । एक प्वाइन्ट लेने के वास्ते यहां पर भाषण दे दिये जाते हैं कि जमीदार द्वारा बहुत जुल्म हो रहा है, मज़दूरों का शोषण हो रहा है ।

मैं यह भी आप को बताना चाहता हूं कि जहां तक बोंडेड लेबर का सवाल है इमर्जेंसी के जमाने में और उस के बाद भी आन्ध्र प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे लोगों की खोज की गई थी और जो लोग दोषी पाए गए थे उन को सज़ा भी दी गई है । इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब को भी कुछ काम करना चाहिए और हम राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की, अपोजीशन वालों की और रूलिंग पार्टी के लोगों की भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन के लिए कुछ काम करें । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने कोई कालिग एटेंशन नोटिस इन खेतिहर मज़दूरों के वास्ते पार्लियामेट में रखा या 377 नियम के अन्तगत कोई बयान दिया । अब एक रेजोलूशन आया है और एक अच्छा रेजोलूशन एक माननीय सदस्य की तरफ़ से आया है लेकिन आज उन की तबियत ठीक नही है ।

The hon. mover of the Resolution is in the hospital. We pray that he speedily recovers and comes to Parliament again. He has moved a very good Resolution and we wholeheartedly support it. We hope, Mr. Anjiah who has got much experience of workers in the fields and factories will bring forward a comprehensive legislation before the House and we, irrespective of all party affiliations, shall have to work for the betterment of the country and we have to make it strong as desired by Mrs. Indira Gandhi.

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : उपाध्यक्ष जी, अभी सभी पार्टियों के सदस्यों ने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में, जरायती मज़दूरों के लिए, चाहे वे किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हों, सभी लोगों ने कहा कि इन के लिए कानून बनना चाहिए और आप जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में वीकर सेक्शन के लिए, जरायती मज़दूरों के लिए एक प्रोग्राम दिया था और उस को अमल में लाने की पूरी कोशिश की है । यह सही है कि जरायती मज़दूरों के लिए कोई कानून अभी बना हुआ नहीं है । यह भी सही है कि जैसे इन्डस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कानून है, जरायती मज़दूरों के

लिए अभी कोई कानून नहीं बना हुआ है । ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं और इन लोगों के ऊपर काफी जुल्म और अत्याचार होते हैं । यह सही है कि इन के लिए सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेज का ही सवाल नहीं है बल्कि इन लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है ।

17 hrs

हमारी कन्ट्री में जो बोण्डेड लेबरर्स है जो कि इधर-उधर दिखायी देते हैं वे इन से भी ज्यादा गिरे हुए मजदूर है । उनके लिए भी सरकार ने कुछ किया है । पिछली सरकार ने भी उनके लिए कुछ बजट रखा था और जैसा मैंने बताया था कि उनके लिये 25 करोड रुपया प्लान में रखा गया है । हमें बोण्डड लेबर सिस्टम को अबालिश करना है । पिछली सरकार ने एक करोड रुपया रखा था, हम ने तीन करोड रुपया रखा है । मगर इस मामले में हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जितनी मदद होनी चाहिए वह मदद नही होती । हम लेबर मिनिस्टर्स की कांग्रेस बुलाना चाहते हैं और उसमे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं ।

हम भी चाहते हैं कि इस मामले में जल्दी से कानून बने और इसको बहुत जल्दी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे है । 9 तारीख को स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग है । उसमे अगर यह रिपोर्ट अडाप्ट कर लेंगे तो जल्दी ही हाउस में लायेंगे । इसको हमें लीगल विभाग से राय करके ड्राफ्ट करना है, बिना उसके तो इसे यहां नहीं लाया जा सकता । हमारे इलेक्शन मेनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया है । मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से लाने और पूरी तरह से लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे । यह दूसरी तरह से भी मुल्क के सामने पेश होगा । मगर कानून तो हम बना लगे, और वह बन भी जाएगा लेकिन उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए भी हमं यानी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेटस् को मिल कर काम करना होगा । इसके इम्पलीमेन्टेशन में हमें यह भी देखना होगा कि कहीं क्लैश न हो । ऐसा न हो कि गांव गांव में बदअमनी फैल जाए । बदअमनी फैला कर इसको इम्प्लीमेंट नही करना है । जहां तक हो सकेगा, इसका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक ढंग से होगा ।

देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं—जैसे हरियाणा, पंजाब और आंध्र के कुछ इलाके—गोदावरी और विजयवाड़ा—में मजदूरों को मिनिमम वेज से भी ज्यादा तंख्वाह मिलती है । वह इसलिए मिलती है कि वहां लेण्ड इरीगेटिड और फर्टाइल है । जिस लेण्ड में कल्टीवेशन होना मुश्किल ह उस लेण्ड के एग्रीकल्चरल लेबर और लेण्ड लार्डस मे टेशन रहना है । हम अपनी तरफ से इस बारे में क्या कर सकते हैं वह भी हम करेंगे । किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमें पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, उनकी एम्प्लाएमेंट के लिए कुछ करना चाहिए । हम समझते हैं कि रूरल एम्पलाएमेंट भी लागू करना चाहिए ताकि उनको रेगुलर इनकम हो सके । चूंकि हमारे बहुत ज्यादा संख्या में पिछड़े हुए लोग हैं इसलिए ये तमाम माम करने से पहले हमें सोचना है । हम इस बारे में स्टेट गवनमेंट्स से बातचीत कर के कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जा सके ।

हम जल्दी से जल्दी इस कानून को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं । आप लोग पहले से कहते आ रहे है कि

[श्री टी० अंजय्या]

एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में जो मिनिमम वेज कानून है उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक ढंग से हो सके। चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कानून हो, चाहे कोई और कानून हो, जैसा कि कहा गया है कि ये कानून बहुत पुराने हो गये हैं, 30-40 साल पहले ये कानून बनाये गये थे जिनमें तब से कोई तबदीली नहीं हुई है। इसलिए इन सारी बातों पर सोचा जा रहा है कि कैसे वर्कर्स को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। इस बारे में लाए जाने वाले बिल के बारे में पूरा कहना तो मुश्किल है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार बहुत जल्दी कानून लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

इसलिए मैं चाहता हू कि जो रिजोल्यूशन हमारे मित्र ने पेश किया है, उसको वे विदड्रा कर लें, वापस ले लें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kodiyan.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: He is ill, Sir. He is in the hospital.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I will dispose of the amendments. Shri Mool Chand Daga.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Sir, I withdraw my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn?

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next amendment is by Shri R. L. P. Verma.

रीत लाल वर्मा (कोडरमा) : मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मेरे नाम से एमेंडमेंट था। मैं वापिस नहीं लेता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You never asked for that and you did not give your name also. So, the question does not arise.

So, I am putting his amendment to vote.

Amendment No. 2 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I will put the resolution to the vote of the House.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: But Mr. Kodiyan is not here. There is no provision. Why are you just taking this step? Everybody is agreed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody is withdrawing the resolution on his behalf. It has to be voted.

The question is:

"This House calls upon the Government to take early steps to enact Central legislation to protect the interests of the vast millions of agricultural workers of our country who are subject to ruthless forces of exploitation as wage earners in agriculture and who remain by and large unprotected by the existing labour laws."

The motion was negatived.